उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

आयोग भवन, हरिद्वार– 249404

ई–मेल : soexamtwo2@gmail.com

पत्रांक–244/25/E-2/CJ-JD/2018-19 **दिनांक : 04 अक्टूबर, 2019**

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू.डि.) (मुख्य) परीक्षा–2019

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा–2019** हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : A-3/E-2/CJ(JD)/2018-19 दिनांक 01 जून, 2019 के सापेक्ष दिनांक 01 सितम्बर, 2019 को आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम विज्ञप्ति संख्या : 94/04/गोपन–02/पी0सी0एस0जे0–19/2019–20, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 द्वारा घोषित किया गया है।

2–प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा कराते हुए, ऑनलाइन आवेदन पत्र सहित समस्त शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी अभिलेख मंगाये जा रहे हैं। इस हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर दिये गये लिंक का प्रयोग करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु, निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।

मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा के पूर्व भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करते हुए, प्रिंटआउट के साथ, अपने दावों के समर्थन में समस्त शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 की सायं 6.00 बजे तक (कार्य दिवस सोमवार से शुक्रवार) सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, आयोग भवन, हरिद्वार के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा अन्य किसी भी माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करें :–

(i) हाईस्कूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
(ii) इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
(iii) विधि स्नातक उपाधि एवं अंक तालिका (समस्त वर्षों/सेमेस्टर की)।
(iv) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। (यदि लागू हो)
(v) स्थायी निवास सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी। (यदि लागू हो)
(vi) यदि अभ्यर्थी सेवायोजित हैं, तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(vii) यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक हैं, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।
(viii) यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण–पत्रों में साम्य न हो उक्त के संबंध में शपथ पत्र।
(ix) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिये।

शासनादेश सं0–23/XXX(2)/2019–30(1)/2019 दिनांक 29.04.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(x) क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

3–मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करने व समस्त अभिलेख आयोग में जमा करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैः–

i	मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि–	05 अक्टूबर, 2019 (शनिवार)
ii	मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा करने तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तिथि–	19 अक्टूबर, 2019 (शनिवार)
iii	ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट (समस्त संलग्नकों सहित) आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि	25 अक्टूबर, 2019 (शुक्रवार)

4–मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह अभ्यर्थी को अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार निम्नवत् परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य हैं–

क्र0सं0 (Sr. No.)	**श्रेणी (Category)**	**आवेदन–शुल्क (Aplication Fees)**	**प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)**	**कुल शुल्क (Total Fees)**
01.	सामान्य/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	रू0 250	रू0 23.60	रू0 273.60
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 250	रू0 23.60	रू0 273.60
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पूर्व सैनिक	रू0 100	रू0 23.60	रू0 123.60

5– अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित आवेदन पत्र के लिफाफे पर "PCS(J) Mains Exam-2019" एवं अनुक्रमांक का अंकन अवश्य करें।

6– जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क अंतिम तिथि तक जमा नहीं किया जायेगा या ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट (समस्त संलग्नकों सहित) दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 की सायं 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय, में जमा नहीं कराया जाएगा, उन्हें आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।

S/d
(राजेन्द्र कुमार)
सचिव।